# म्यागङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८२

**म्यागङ गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक**

**प्रस्तावनाः** म्यागङ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

1. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यस ऐनको नाम "म्यागङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८२" रहेको छ ।
   (२) यो ऐन २०८२ साल श्रावण १ गतेदेखि म्यागङ गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
2. **परिभाषाः** विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा :-
   क) "ऐन" भन्नाले म्यागङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८२ सम्झनुपर्दछ ।
   ख) "गाउँपालिका" भन्नाले म्यागङ गाउँपालिका सम्झनुपर्दछ ।
   ग) "कार्यपालिका" भन्नाले म्यागङ गाउँ कार्यपालिका सम्झनुपर्दछ ।
   घ) "फर्म/सस्था" भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका जुनसुकै फर्म वा सस्थालाई सम्झनुपर्दछ ।
   ङ) "व्यक्ती" भन्नाले यस ऐन बमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएको जुनसुकै व्यक्ति सम्झनुपर्दछ ।
   च) "सभा" भन्नाले म्यागङ गाउँपालिकाको गाउँ सभालाई सम्झनुपर्दछ ।
   छ) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधानलाई सम्झनुपर्दछ ।
3. **सम्पति करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम एकिकृत सम्पत्ति कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
4. **भूमि कर (मालपोत)ः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
5. **घर वहाल करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूचि (३) बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।
6. **व्यवसाय करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।
7. **ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो संकलन र बिक्री तथा जडिबुटी, कवाडी, जीवजन्तु तथा अन्य वस्तुको निकासी करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो संकलन र बिक्री, कवाडी तथा अन्य वस्तुको निकासी कर जिवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला, ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि (५) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
8. **सवारी साधन करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

9. **विज्ञापन करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ। तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
10. **मनोरन्जन करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (८) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
11. **बहाल बिटौरी शुल्कः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूचि (९) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा भएको व्यस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
12. **पार्किङ शुल्कः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूचि (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।
13. **ट्रेकिङ्ग, कोयोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्‍याफ्टीङ्ग शुल्कः** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्ग, कायोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्‍याफ्टीङ्गसेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवारत अनुसूचि (११) बमोजिमको शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
14. **सेवा शुल्क, दस्तुरः** गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूचि (१२) मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
15. **पर्यटन शुल्कः** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुवाट अनुसूची (१३) मा उल्लेखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
16. **घर नक्सापास शूल्कः** गाउँपालिका क्षेत्र भित्र नक्सापास गराए वापत अनुसूची (१४) बमोजिम नक्सापास शूल्क लगाइने र असुर उपर गरिनेछ ।
17. **कर छुटः** यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन ।
18. **कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधिः** यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुने छ ।

## सम्पत्ति कर

## अनुसूची - १

## सम्पत्तीकर र भुमिकरको दर

| सि.नं. | देखि | सम्म | कर |
|---|---|---|---|
| १ | - | ५ लाख सम्म | २०० |
| २ | ५ लाख | १० लाख | ३०० |
| ३ | १० लाख | १५ लाख | ४०० |
| ४ | १५ लाख | २० लाख | ५०० |
| ५ | २० लाख | ३० लाख | ७०० |
| ६ | ३० लाख | ४० लाख | ९०० |
| ७ | ४० लाख | ५० लाख | ११०० |
| ८ | ५० लाख | ६० लाख | १३०० |
| ९ | ६० लाख | ८० लाख | १५०० |
| १० | ८० लाख | १ करोड | २००० |
| ११ | १ करोड | १ करोड २० लाख | ३००० |
| १२ | १ करोड २० लाख | १ करोड ५० लाख | ५००० |
| १३ | १ करोड ५० लाख | २ करोड | १०००० |
| १४ | २ करोड भन्दा बढी | | कुल मुल्यमा ०.१% दरले |

माथि उल्लेखित कर प्रयोजनको लागि देहायबमोजिम जग्गा र भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

| वडा नं. | जग्गाको किसिम | जग्गाको विवरण | प्रति रोपनी हालको मुल्याङ्कन रकम |
|---|---|---|---|
| १ | **व्यापारिक क्षेत्र** | म्यागङ डाँडाँ दायाँ बायाँ सडकको १०० मिटरको आसपासको जग्गा | ४,००,०००/- |
| | **आवासीय क्षेत्र** | अल्जंग, सावनी टोल, माथिल्लो घले टोल, सालघारी, | १,००,०००/- |
| | **कृषि क्षेत्र** | वेसीटार | १,५०,०००/- |
| २ | **आवास तथा व्यवसाय** | श्री देउराली जोङदली, वडा कार्यालय हुँदै नै धारा गुम्बा सडकको दायाँ बायाँ १०० मिटरको आसपासको क्षेत्र | रु.३,५०,०००/- |
| | | चिउरी भञ्याङ बुङताङबेसी गैराफुङ हुँदै जोङदली सडकको दायाँ बायाँ १०० मिटरको आसपासको क्षेत्र | रु.३,५०,०००/- |
| | | बुङताङबेसी कलङ खोला स्यारम्रमङ, ब्रामाङ केसिङगङ ग्युलमाने सडकको दायाँ बायाँ १०० मिटरको आसपासको क्षेत्र | रु. २,५०,०००/- |
| | **कृषि क्षेत्र** | खर्पा खोला तेसिङचेत झोयार्सा बुलबुले सडकको दायाँ बायाँ १०० मिटरको आसपासको क्षेत्र | रु.२,५०,०००/- |
| | | लोसेगङ, लुम्बुदङ, गरवाङ, डोबोल्बो, मन्दो पतप, | रु.२,००,०००/- |
| | | बर्चेत माथिल्लो टोल, बर्चेत तल्लोटोल | रु.१,५०,०००/- |
| | | तङकुचेत, मोटेगङ, ब्लसिंङ, तेसिङचेत, डोडो, तमचेत हुँदै म्याङम्युङ | रु.१,५०,०००/- |
| | | रालु, अल्चेत | रु.१,५०,०००/- |
| | | गुम्बागयाप, मङनेपा, स्यावाङ, थाङमचेत, गैरफुङ, कोसिङगङ, खोमेसो | रु.१,५०,०००/- |
| | **बन क्षेत्र** | बलदेवी हुदै बुङताङ सामुदायिक वन सम्म | रु.५०,०००/- |
| | | भुमंगो हुदै कालिका वनसम्म | रु.५०,०००/- |
| | | प्याकन, कलेरी वन हुदै भर्याङकुन वन क्षेत्र सम्म | रु.५०,०००/- |
| ३ | **आवासीय क्षेत्र** | गोगने मानेभञ्याङ सम्मको मुल सडकको आवासको क्षेत्र | १०,००,०००/- |
| | | मानेभञ्याङ देखि फासाङ म्यागङ भञ्याङ मुल सडक दायाँ बायाँ ५० मिटरको आवासको क्षेत्र | ८,००,०००/- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | मानेभञ्ज्याङ देखि प्लेमप्लेन पालिका केन्द्र हुदै म्यागङ भञ्याङ सम्म जोड्ने सडक आसपास दायाँ बायँ ५० मिटरको आवासको क्षेत्र | ८,००,०००/- |
| | | म्यागङ गा.पा. वडा नं. ३ भरीको भित्री सडकहरु | ५,००,०००/- |
| | **कृषि क्षेत्र** | म्यागङ गा.पा. वडा नं. ३ भरीको पाखा बारी | १,००,०००/- |
| | | म्यागङ गा.पा. वडा नं. ३ भरीको पाखा खेतको | २,००,०००/- |
| | **वन तथा वगर क्षेत्र** | खेती नगरेको वन तथा वगर क्षेत्र | ५०,०००/- |
| ४ | **व्यापारिक क्षेत्र** | कलङची, मेङगङ, कुना गाउ, ङरुलुङ मिलान टोल, डाङचेत, मानेगङ, नम्सा ऋा | १,००,००० देखि १,५०,००० सम्म |
| | **आवासीय क्षेत्र** | नम्सा ऋा, मेन्टु, माने गङ, डाङचेत, कलङचे, मेङगङ, सवान धारा, गुनाम्स, कामी आरन, नवाङ, गोम्बो गङ | ५,००,०००/- |
| | **कृषि क्षेत्र** | ब्राङङर, छाप गाङ, सिङपाली, क्यूङरा नेन, बोलतोङ गङ, थाङब्रा, बलज्युङ, गोम्बोगङ, गुम्राङ | १,००,००० देखि १,५०,००० सम्म |
| | **वन तथा वगर क्षेत्र** | छोगङ, मनेचेत गाङम्राङ, पाचेत, मुङलाम ब्रा, सिङगम, प्लेङनेन | ४५,००० देखि ६०,००० सम्म |
| ५ | **आवास तथा व्यवसाय** | मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएको जग्गा | १०,००,०००/- |
| | | आवासीय क्षेत्रको (मोटरबाटोले छोएको) प्रति रोपनी | ७,००,०००/- |
| | | मोटरबाटोले छोएको जमिन प्रति रोपनी (कल्लाबारी टोल) | ७,००,०००/- |
| | | मोटरबाटोले छोएको जमिन प्रति रोपनी (वैकुण्डे/झर्लाङ टोल) | ७,००,०००/- |
| | | मोटरबाटोले छोएको जमिन प्रति रोपनी (पर्मचेत/भागे टोल) | ४,००,०००/- |
| | | मोटरबाटोले छोएको जमिन प्रति रोपनी (लम्सार/जोरचौतारा टोल) | ४,००,०००/- |
| | **कृषि क्षेत्र** | कृषियोग्य जमिन प्रति रोपनी | ५,००,०००/- |
| | | कृषियोग्य जमिन प्रति रोपनी (कल्लाबारी टोल) | २,००,०००/- |
| | | कृषियोग्य जमिन प्रति रोपनी (वैकुण्डे/झर्लाङ टोल ) | ३,००,०००/- |
| | | कृषियोग्य जमिन प्रति रोपनी (पर्मचेत/भागे टोल ) | २,००,०००/- |
| | | कृषियोग्य जमिन प्रति रोपनी (लम्सार/जोरचौतारा टोल) | २,००,०००/- |
| | **बन क्षेत्र** | वन तथा वगर क्षेत्र प्रति रोपनी | ३,००,०००/- |
| | | पाखो वगर तथा वन प्रति रोपनी (कल्लाबारी टोल) | १,००,०००/- |
| | | पाखो वगर तथा वन प्रति रोपनी (वैकुण्डे/झर्लाङ टोल ) | १,००,०००/- |
| | | वन/वगर पाखो जमिन प्रति रोपनी (पर्मचेत/भागे टोल ) | १,००,०००/- |
| | | वन/वगर पाखो जमिन प्रति रोपनी ( लम्सार/जोरचौतारा टोल ) | १,००,०००/- |
| ६ | **आवास तथा व्यवसाय** | मध्यपहाडी मोटरबाटोले छोएको १०० मि. आसपासको जग्गा प्रति रोपनी | १०,००,०००/- |
| | | बाटोले छोएको प्रति रोपनी (विरमानटार टोल) | ६,००,०००/- |
| | | मोटरबाटोले छोएको प्रति रोपनी (भन्ज्याङ टोल) | ५,००,०००/- |
| | | मोटरबाटोले छोएको प्रति रोपनी (पुरनपानी/पनेरा टोल) | १०,००,०००/- |
| | | शाखा मोटरबाटोले छोएको प्रति रोपनी (पुरनपानी/पनेरा टोल) | ३,००,०००/- |
| | | मुख्य मोटरबाटोले छोएको प्रति रोपनी (पोखरी टोल) | १०,००,०००/- |
| | | शाखा मोटरबाटोले छोएको प्रति रोपनी (पोखरी टोल) | ३,००,०००/- |
| | | मोटरबाटोले छोएको प्रति रोपनी (फलाटे मैवल टोल) | १०,००,०००/- |
| | | शाखा मोटरबाटोले छोएको प्रति रोपनी (फलाटे मैवल टोल) | ५,००,०००/- |
| | **कृषि क्षेत्र** | खेतीयोग्य जमिन प्रति रोपनी (विरमानटार टोल) | ३,००,०००/- |
| | | खेतीयोग्य जमिन प्रति रोपनी (भन्ज्याङ टोल) | ३,००,०००/- |
| | | खेतीयोग्य जमिन प्रति रोपनी (पुरनपानी/पनेरा टोल) | २,००,०००/- |
| | | खेतीयोग्य जमिन प्रति रोपनी (पोखरी टोल) | २,००,०००/- |
| | | खेतीयोग्य जमिन (फलाटे मैवल टोल) | २,००,०००/- |

**नोटः-** आ.व. २०८२/०८३ मा मालपोत कार्यालय नुवाकोटबाट माथि उल्लेखित जग्गाको न्युनतम मुल्याङ्कन संसोधन भई आएमा सोही बमोजिम हुनेछ । साथै अचल सम्पत्तीको मुल्याङ्कन एकिकृत सम्पत्ती व्यवस्थापन कार्यविधिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

## भूमी कर

## अनुसूची -२

| जग्गाको क्षेत्रफल | ईकाई | खेत (रु.) | पाखोजग्गा( रु.) |
|---|---|---|---|
| १० रोपनी सम्म | प्रति रोपनी | १५ | १० |
| १० रोपनि देखि २० रोपनी सम्म | प्रति रोपनी | २० | १५ |
| २० रोपनी भन्दा माथि | प्रति रोपनी | २५ | २० |
| ६ आना सम्मको घडेरी - रु.१००<br>सो भन्दा भएको घडेरीमा - प्रति आना रु.२० | | | |
| २ वर्ष सम्म कर तिर्न बाँकी - २०% जरिवाना<br>सो भन्दा बढि वर्षको बाँकी भए- थप प्रति वर्ष ५% जरिवाना | | | |

## घर वहाल/जग्गा कर

## अनुसूची -३

आफ्नो क्षेत्र भित्रको घर, जग्गा, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड, कारखाना वा पोखरी पुरै वा आंशिक रुपमा बहालमा दिएमा सम्बन्धित धनीबाट वहाल रकमको १० प्रतिशत घर बहाल कर लिनेछ ।

**नोट :** (१) चालु आ.व.को घरबहाल कर लिदा गत विगतको घरबहाल कर बुझाएको प्रमाण संलग्न गर्ने र गत विगतको घर भुक्तानी हुन वांकी भएमा सो समेत असूल गर्ने ।

(२) बहाल करको व्यक्तिगत अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

## व्यवसाय कर

## अनुसूची — ४

| सि.नं. | दस्तुर कर शूल्क महशुल शीर्षक | करको दर |
|---|---|---|
| | व्यवसाय | दर्ता शुल्क |
| १ | गर गहना पसल | २००० |
| २ | ईलेक्ट्रीकाल ईलेक्टोनिक खुद्रा | १००० |
| ३ | हार्डवयर पसल | १५०० |
| ४ | प्लाईउड, सिसा कार्पेट फ्रेम | १२०० |
| ५ | कपडा पसल, फेन्सी सहित | १००० |
| ६ | खाद्यान्न, गल्ला तथा किराना पसल | १००० |
| ७ | तरकारी पसल थोल- फुटकर | ५०० |
| ८ | स्टिल, काठ, फर्निचर विक्रेता | १००० |
| ९ | साईकल, रिक्सा विक्रि | १२०० |
| १० | खसी, कुखुरा, वंगुर, रागा, माछा विक्रि (विक्रेता सप्लायर्स) | १००० |
| ११ | मदिरा पसल | १२०० |
| १२ | एग्रोभेट पसल, विउ, विजन | ५०० |
| १३ | भाडा पसल | १००० |

| | | |
|---|---|---|
| १४ | पुस्तक तथा स्टेशनरी | ५०० |
| १५ | गिफ्ट तथा फोटो फ्रेम पसल | ५०० |
| १६ | ग्यास सिलिण्डर विक्रि (थोक-खुद्रा) | १००० |
| १७ | छाला संकलन तथा विक्रि पसल | १००० |
| १८ | श्रृँगार पसल | १००० |
| १९ | फ्रुट व्यवसाय, फलफुल तथा जुस पसल (थोक-खुद्रा) | १००० |
| २० | कम्प्युटर तथा भाषा इन्टिच्युट | १२०० |
| २१ | कम्प्युटर टि.भि. मर्मत केन्द्र | ८०० |
| २२ | टेलर्स | ५०० |
| २३ | सैलुन | ५०० |
| २४ | व्युटी पार्लर | ५०० |
| २५ | फोटो स्टुडियो | ५०० |
| २६ | साईनवोर्ड, पेन्टिङ सेवा | ५०० |
| २७ | लेक्सङ प्रिन्टिङ | १००० |
| २८ | साईकल रिक्सा मर्मत | ५०० |
| २९ | ईन्जिनियरिङ तथा शैक्षिक परामर्श सेवा | १५०० |
| ३० | चिकित्सक, वकिल, लेखापरीक्षक | १५०० |
| ३१ | नापी सेवा, विमा एजेन्ट, पशु चिकित्सक | १२०० |
| ३२ | लज मात्र | १००० |
| ३३ | मिठाई तथा नास्ता पसल, साना होटेल | १००० |
| ३४ | छापाखाना, प्रकाशन | १२०० |
| ३५ | ईलेक्ट्रीसियन तथा फोटाकपी, कुरियर | ५०० |
| ३६ | टायर मर्मत तथा हावा हाल्ने | ५०० |
| ३७ | डकर्मी प्लम्वर व्यवसाय | १००० |
| ३८ | औषाधी पसल | १५०० |
| ३९ | पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल पम्प | ३००० |
| ४० | मोटरसाईकल विक्रेता | २५०० |
| ४१ | मोर पार्टर विक्रि, स्पेयर पार्टस | १२०० |
| ४२ | कवाडी पसल, व्यवसाय | १५०० |
| ४३ | सोलार सम्वन्धि पसल | १५०० |
| ४४ | कम्प्युटर तथा टि.भि. सम्बन्धी पसल | १५०० |
| ४५ | सवारी टयार विक्रेता | १२०० |
| ४६ | ड्राइभिङ्ग सेन्टर | १५०० |
| ४७ | ट्रान्सपोर्ट ढुवानी सेवा | १५०० |
| ४८ | निर्माण व्यवसाय (घ वर्ग इजाजत) दर्ता | १०००० |
| ४८.१ | निर्माण व्यवसाय (घ वर्ग इजाजत) नविकरण<br>(विलम्व शुल्क आ.व. को प्रथम त्रैमासिकमा नलाग्ने दोस्रो त्रैमासिक सम्म ५० प्रतिशत थप र सो अवधि पश्चात दोब्बर) | ५००० |
| ४९ | विक्रि डिपो | २००० |
| ५० | स:मिल | २००० |
| ५१ | होटेल रेष्टुरेण्ट | १५०० |
| ५२ | होटेल तथा रेष्टुरेण्ट र लज सहित | ३००० |
| ५३ | बैदेशिक रोजगारी, म्यानपावर कम्पनी | ५००० |
| ५४ | कलरल्याव | १२०० |

| | | |
|---|---|---|
| ५५ | मोटरसाईकल, ट्रक्टर मर्मत, ग्यारेजहरु | १००० |
| ५६ | सवारी साधन पार्किङ व्यवसाय (निजि) | ७५० |
| ५७ | प्रसारण गृह, रेडियो, केवल नेटवर्क | २००० |
| ५८ | टेन्ट हाउस | १२०० |
| ५९ | गैर सरकारी अस्पताल | ४००० |
| ६० | क्लिनिक ल्याब | १७०० |
| ६१ | डेन्टल क्लिनिक | १५०० |
| ६२ | राईस मिल | १००० |
| | **बैङ्क तथा वित्तिय संस्था** | |
| ६३ | वाणिज्य बैङ्क | १०००० |
| ६४ | विकास बैङ्क | ७००० |
| ६५ | फाईनान्स कम्पानी तथा वित्तिय संस्था | ५००० |
| ६६ | विदेशी मुद्रा सटही काउण्टर, मनि ट्रान्सफर | २००० |
| ६७ | बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | १५०० |
| ६८ | बहुउद्देश्यी सहकारी संस्था | १५०० |
| ६९ | कृषि सहकारी संस्था | १२०० |
| ७० | सहकारी बैङ्क | ५००० |
| | **कृषि, पशुपंक्षी तथा संस्था क्षेत्र** | |
| ७१ | कृषि व्यवसाय | १००० |
| ७२ | पुशपंक्षी व्यवसाय | १००० |
| ७३ | कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय | १२०० |
| ७४ | पशु बधशाला | ५००० |
| ७५ | कुखुरा पालन व्यवसाय | १००० |
| ७६ | उपभोक्ता समिति दर्ता | १००० |
| ७७.१ | उपभोक्ता समिति नविकरण | ५०० |
| ७८ | महिला समुह दर्ता | ५०० |
| ७८.१ | महिला समुह नविकरण | २५० |
| ७९ | टोल विकास संस्था दर्ता | १००० |
| ७९.१ | टोल विकास संस्था नविकरण | ५०० |
| ८० | महिला संस्था दर्ता | १००० |
| ८०.१ | महिला संस्था नविकरण | ५०० |
| ८१ | कृषि/पशुपालन व्यवसाय नविकरण<br>(विलम्ब शुल्क आ.व. को प्रथम त्रैमासिकमा नलाग्ने दोस्रो त्रैमासिक सम्म ५० प्रतिशत थप र सो अवधि पश्चात दोब्बर ) | ५०० |
| ८२ | कृषक समुह दर्ता तथा नविकरण | ५०० |
| ८३ | खानेपानी मुहान दर्ता तथा नविकरण | ५०० |
| ८४ | पशु चौपाया निकासी प्रतिगोटा- ठूलो पशु<br>सानो पशु | ७५<br>५० |
| ८५ | रासयनिक मल बिक्रेताको सिफारिस प्रमाणपत्र | १२०० |
| ८६ | रासयनिक मल बिक्रेताको सिफारिस प्रमाणपत्र नविकरण | १००० |
| | | |

| उद्योग व्यवसाय | | |
|---|---|---|
| ८७ | ग्रिल उद्योग | १००० |
| ८८ | जुत्ता, चप्पल उद्योग | २००० |
| ८९ | ईट्टा उद्योग | ५००० |
| ९० | ब्लक, रिङ उद्योग | २२०० |
| ९१ | डेरी उद्योग | १००० |
| ९२ | मिनरल वाटर उद्योग | २००० |
| ९३ | चाउमिन उद्योग | १५०० |
| ९४ | कपि उद्योग | १५०० |
| ९५ | बोरा उद्योग | १५०० |
| ९६ | पाउरोटी उद्योग | १००० |
| ९७ | गारमेन्ट उद्योग | १५०० |
| ९८ | फर्निचर उद्योग | १५०० |
| ९९ | कुटानी पिसानी तेलहान मिल उद्योग | १००० |
| १०० | क्रसर उद्योग | ७००० |
| १०१ | उद्योगको हकमा १० करोड सम्मको (साना) | १०००० |
| १०२ | १० करोड देखि माथि २५ करोड सम्म (मझौला) | २०००० |
| निजि विद्यालय बार्षिक कर | | |
| १०३ | क्याम्पस स्तर | ६००० |
| १०४ | मा.वि. स्तर | ५००० |
| १०५ | आ.वि. स्तर | ३००० |
| सबै प्रकारको व्यवसायको प्रतिलिपि | | ५०० वा नियमानुसार लिइनेछ। |
| सबै प्रकारको व्यवसायको खारेजी | | ५०० वा नियमानुसार लिईनेछ। |
| माथि उल्लेखित व्यवसायको नविकरण शुल्कको लागि व्यवसाय दर्ताको ५०% रकमबाट हुने आउने रकम बराबारको नविकरण शूल्क/कर वापत लिईनेछ।(आ.व.को प्रथम त्रैमासिकमा आएमा विलम्ब शुल्क नलाग्ने, दोस्रो त्रैमासिकमा ५० प्रतिशत र सो भन्दा पछाडि आएमा १०० प्रतिशत र अर्को आर्थिक बर्षमा आएमा थप १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने) | | |

## व्यवसाय दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरु

| व्यवसाय दर्ता गर्न आवश्यक कागजातः | कृषि समुह दर्ता गर्न आवश्यक कागजातः | खानेपानी मुहान दर्ता वा सिँचाई दर्ता गर्न आवश्यक कागजातः |
|---|---|---|
| • नागरिकताको प्रतिलिपि<br>• फोटो -२ प्रति<br>• लालपुर्जा प्रतिलिपि<br>• आफ्नो जग्गा नभएमा - मञ्जुरिनामा<br>• भाडाको जग्गा भएमा सम्झौता भाडाको १० प्रतिशत ) ( बहाल कर<br>• चार किल्ला मुचुल्का ) ( नागरिकता प्रतिलिपि | • बैठक माईन्युट<br>• विधान — २ प्रति<br>• वडा सिफारिस<br>• सदस्यहरुको नागरिकता प्रतिलिपि<br>• छाप<br>• समुहको निवेदन<br>• रेकर्ड फाईल | • विधान - २ प्रति<br>• समितिको छाप<br>• नागरिकता प्रतिलिपि<br>• वडा सिफारिस<br>• बैठक माईन्युट<br>• समितिको निवेदन रेकर्ड फाईल |

| | | |
|---|---|---|
| • जग्गा धनिको नागरिकता प्रतिलिपि<br>• वडा सिफारिस<br>• निवेदन<br>• कृषि तथा पशुपन्छीको हकमा कृषि प्राविधिकको सिफारिस<br>• रेकर्ड फाईल | | |

❖ व्यवसायको हकमा कसैले एउटै पसलमा धेरै आईटम राखि पसल वा व्यवसाय गरेको छ भने सबै आईटम मध्ये कुनै एकको मात्र कर लिने छ तर यसमा सबै आईटम मध्ये जुन आईटमको कर रकम बढी छ सोहीलाई कायम गरी कर असुल गरिनेछ।

## ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो संकलन र बिक्री तथा जडिबुटी, कवाडी, जीवजन्तु तथा अन्य वस्तुको निकासी कर

## अनुसूची - ५

### ढुंगा, गिटी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर शुल्क

| क्र.सं. | विवरण | ईकाइ | दर(रुपैयामा) |
|---|---|---|---|
| १. | माटो (स्वीकृत खानी क्षेत्र बाहेकका) | प्रति घन फिट | २।५० |
| २. | ढुङ्गा, चुनढुङ्गा, खरिढुङ्गा, गिट्टि, ग्राभेल, रोडा, बालुवा (स्वीकृत खानी क्षेत्र बाहेकका) | प्रति घन फिट | ९।- |
| ३. | स्लेट (स्वीकृत खानी क्षेत्र बाहेकका) | प्रति वर्ग फिट | ९।- |
| ४. | काठ दाउरा | २० फुट गाडि<br>२५ फुट गाडी | १५००।-<br>३०००।- |
| ५. | औषधिजन्य बनस्पति | बिक्रि मुल्यको . | २% |
| ६. | दहत्तर बहत्तर सामग्रीको बिक्री मुल्यमा दश प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । | | |
| ७. | व्यक्तिको निजी जग्गाबाट माटो बिक्री गर्दा जग्गा धनिले नै कति घनफिट माटो बिक्री गर्ने हो यकीन गरी गा.पा.मा निवेदन दिनुपर्नेछ ।<br>सार्वजनिक जग्गा तथा स्थान बाहेक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको निजी जग्गाको माटो उत्खनन गर्दा निम्न कुरामा विचार गरेर मात्र गाउँपालिकाले स्वीकृत दिनुपर्नेछ ।<br>क) साँध सिमानामा पर्ने जग्गा धनिको लिखित स्वीकृत हुनु पर्नेछ,<br>ख) माटो उत्खननबाट प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग, भौगोलिक संरचना, मानविय वासस्थान, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत भवन लगाउतको संरचना,सडक, कुलो, नहर, सांध सिमानामा रहेको छिमेकीको जग्गामा रहेको संरचना आदिमा कुनै किसिमको असर नपर्ने हुनु पर्नेछ । | | १० % (बिक्री मुल्यको ) |

**नोटः-** बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनसंग बाझीए बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन बमोजिम हुनेछ ।

### कवाडि तथा अन्य बस्तुको निकासी शुल्क

| सि.नं. | आम्दानीको शीर्षक | आम्दनी संकेत नं. | करको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| | **कवाडी सामान खरिद बिक्री** | | **रु. १५००** | |
| १ | झिण्डु (प्राकृतिक कृत्रिम उनका टुक्रा) | | ।५० पैसा प्रति कि.लो. | |
| २ | गार्मेट कपडाको टुक्रा | | ।५० पैसा प्रति कि.लो. | |
| ३ | जलेको मोबिल | | ।२५ पैसा प्रति कि.लो. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ४ | जुट र प्लाष्टिक बोरा | | ।२० पैसा प्रति कि.लो. | |
| ५ | कार्पेट टुक्रम | | ।५० पैसा प्रति कि.लो. | |
| ६ | टायर ट्युव | | ।५० पैसा प्रति कि.लो. | |
| ७ | थोत्रो टिना | | ।५० पैसा प्रति कि.लो. | |
| ८ | पुरानो कागज | | रु. १।०० पैसा प्रति कि.लो. | |
| ९ | पुरानो ड्रम | | ।५० के.जि. पैसा प्रति कि.लो. | |
| **धातुका टुक्रा** | | | | |
| १० | फलाम | | रु. २।०० प्रति कि.लो. | |
| ११ | तामा, पित्तल | | रु. ४।०० प्रति कि.लो. | |
| १२ | मेसिनरी औजार | | रु. २।०० प्रति कि.लो. | |
| १३ | पोलिथिन पाइप | | रु. १।०० प्रति कि.लो. | |
| १४ | सिसाको धुलो | | रु. ४।०० प्रति कि.लो. | |
| माथि उल्लेखित सामानहरु एकमुष्ट निकासी गरिएमा रु.२।०० प्रति कि.लो. | | | | |
| **प्रचलित कानूनले निषेध गरेको बाहेक मरेका वा मारिएका पशुका** | | | | |
| १५ | हाड | | रु. १।०० प्रति कि.लो. | |
| १६ | सिङ | | रु. १।०० प्रति कि.लो. | |
| १७ | छाला ठुलो | | रु. ३०।०० प्रति गोटा | |
| १८ | छाला सानो | | रु. २५।०० प्रति गोटा | |
| १९ | पन्छिको प्वाँख | | रु. १०।०० प्रति कि. लो. | |

## सवारी साधन कर

## अनुसूची - ६

म्यागङ गाउँपालिका क्षेत्र भित्र बसोबास भई सवारी साधन लिएका सवारी धनीहरुलाई देहाय बमोजिम बार्षिक सवारी लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

| सि.नं | बार्षिक सवारी कर | बार्षिक |
|---|---|---|
| १ | ई-रिक्सा/रिक्सा | रु. ५०० |
| २ | मोपेड | रु. ५०० |

## विज्ञापन कर

## अनुसूची - ७

म्यागङ गाउँपालिका क्षेत्र भित्र आफ्नो व्यवसाय, व्यापार प्रवर्द्धन तथा प्रचार प्रसारको लागि राखिने विज्ञापन सामाग्रीहरुमा देहाय बमोजिम विज्ञापन लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

| सि.नं. | विज्ञापन कर प्रति वर्ग फुट | बार्षिक |
|---|---|---|
| १ | होडिङ्ग वोर्ड, नियोन, साईन तथा अन्य ठूला विद्युतीय वोडहरु | प्रति वर्ग फिट रु. ५० |
| २ | ग्लो साईनवोर्ड, डि.पि.एस आदि | प्रति वर्ग फिट रु. ५० |
| ३ | तुल व्यानर एक महिना सम्मको लागि प्रतिगोटा | रु. ५० |

## मनोरन्जन कर

### अनुसूची - ८

म्यागङ गाउँपालिका क्षेत्र भित्र संचालनमा रहेका र संचालन हुने मनोरञ्जन व्यवसायमा देहाय बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

| सि.नं. | मनोरञ्जन कर | बार्षिक |
|---|---|---|
| १ | महोत्सव भित्रको रमाईलो मेला दैनिक | रु. २५०० |
| २ | महोत्सव मेला दस्तुर प्रतिदिन | रु. ७७०० |

## बहाल बिटौरी शुल्क

### अनुसूची - ९

**अस्थायी हाट बजार वा घुम्ती पसलः**

यस अनुसूचीमा अन्यत्र जुनै सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अस्थायी हाट बजारमा वा घुम्ती पसल राखी गरिने देहायको व्यवसायमा पटके रुपमा देहाय बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

१. घुम्ती (मोवाईल) पसल खुम्चा, मम्फली, तरकारी, पाउरोटी, चिया, हजाम, पान आदि व्यापार गर्ने सँग दैनिक रु.१०

२. फेरीवाला भाडा, कपडा तथा किराना विसाता आदिमा दैनिक रु.२०

३. **क.** विभिन्न किसिमको रेडिमेट कपडा पसल खाट वा ठेला वाला समेत सार्वजनिक स्थलमा पसल राखे सँग दैनिक रु. ३०

**ख.** गाउँपालिकाको क्षेत्र भित्र सार्वजनिक स्थलमा एकै ठाउँमा अस्थायी टंकी पाल राखी खोम्चा तरकारी तथा अन्य कुनै वस्तुको विक्री गर्नेलाई दैनिक रु. ४०

**ग.** घुमीफिरी कपडा तथा माछा विक्री गर्नेलाई दैनिक रु. ४०

४. लाइट, लाइटर, छाता, स्टोप, प्रेसर कुकर आदि मर्मत (सार्वजनिक स्थलमा) दैनिक रु. ३०

| सि.नं. | प्रचार प्रसार स्टल ४ फुट लम्बाई ४ फुट चौडाई | |
|---|---|---|
| १ | व्यवसायिक प्रयोजन प्रतिदिन | ५५० |
| २ | सूचना मुलाक प्रतिदिन | २७५ |

**(घुमफिरी माछा जस्ता खाद्यान्न विक्रि गर्नेलाई निरुत्साहित गर्दै लगिनेछ ।)**

नोटः माथिका वर्गिकरणमा समावेश नभएको सेवा व्यवसायको कारोबार र स्तर हेरि बार्षिक रु. ३६० देखि रु. ५००० सम्म कर लिन सकिनेछ ।

## पार्किङ शुल्क

### अनुसूची - १०

यस म्यागङ गाउँपालिकाले तोकेको निश्चित क्षेत्रमा दरभाउपत्रका माध्यमबाट तपसिल बमोजिमका दरले पार्किङ शूल्क असूल उपर गरिनेछ ।

क. बस, ट्रक, मिनिबस, आदिलाई दैनिक रु.३०

ख. जीप, कार, भ्याल, ट्रयाक्सी, ट्रयाक्टर आदिलाई दैनिक रु. १५

ग. मोटर साईकललाई दैनिक रु. ५

**नोटः** गाउँपालिकाले निर्माण गरेको बसपार्क वा गाउँपालिकाद्धारा संरक्षित अन्य स्थानलाई पार्किङ्ग शूल्क लाग्ने स्थल भनी तोकेको स्थानमा सवारी साधन पार्किङ्ग गरे बापत लाग्ने शूल्कलाई जनाउँछ । सवारी पार्किङ शूल्क उठाउने सन्दर्भमा ठेक्का लगाउन सकिनेछ ।

## प्याराग्लाइडिङ, ट्रेकिङ्ग, कोयोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्‍याफ्टीङ्ग शुल्क

### अनुसूची - ११

प्याराग्लाइडिङ, ट्रेकिङ्ग, कोयोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्‍याफ्टीङ्ग शुल्क हाललाई कायम नगरिएको र आवश्यकता अनुसार कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

## सेवा शुल्क, दस्तुर

### अनुसूची -१२

| सि.नं. | सेवा शूल्क विवरण | दस्तुर (रु.) |
|---|---|---|
| १ | निवेदन दस्तुर | १० |
| २ | नाता प्रमाणित | २०० |
| ३ | जन्म प्रमाणित | २०० |
| ४ | विवाहित, अविवाहित प्रमाणित | २०० |
| ५ | मुत्यु प्रमाणित | २०० |
| ६ | व्यक्तिगत प्रमाणित | २०० |
| ७ | नाम, थर, जन्ममिति संशोधन सिफारिस | २०० |
| ८ | एकै व्यक्ति रहेको प्रमाणित | २०० |
| ९ | पारिवारिक विवरण प्रमाणित | २०० |
| १० | कित्ताकाट सिफारिस | २०० |
| ११ | उद्योग, घ वर्ग नाम सारी, ठाउँ सारी सिफारिस | १००० |
| १२ | पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्न सिफारिस | १०००० |
| १३ | विद्यालय कक्षा थप्ने | ५००० |
| १४ | विद्यालय ठाउँ सारी | ५००० |
| १५ | छात्रावृति सिफारिस | १०० |
| १६ | धारा, विद्युत, ढल जडान सिफारिस | २०० |
| १७ | नागरिकता प्रतिलिपी सिफारिस | २०० |
| १८ | नयाँ नागरिकता सिफारिस | २०० |
| १९ | नागरिकता सिफारिस अंगिकृत | ५०० |
| २० | विटौरी ईजाजत दस्तुर | ५० |
| २१ | विद्युत नामसारी सिफारिस | २०० |
| २२ | नक्सा पास, नामसारी आर.सि.सि. | ५०० |
| २३ | नक्सा पास, नामसारी कच्ची घर | २०० |
| २४ | कच्ची घर भत्काउने ईजाजत | ५० |
| २५ | घर बाटो प्रमाणित प्रतिकित्ता (तर ३ आना भन्दा कम क्षेत्रमा हुन आउने जग्गामा जति कित्ता भए पनि रु. ५०) | ५० |
| २६ | स्रेस्ता कायम सिफारिस | ३०० |
| २७ | मोहि लगत कट्टा सिफारिस | ३०० |
| २८ | जग्गा नामसारी सिफारिस | २०० |
| २९ | जग्गाधनीको नाम, थर कायमको सिफारिस | २०० |

| | | |
|---|---|---|
| ३० | जग्गाधनीको प्रमाणपुर्जा हराएको सिफारिस | २०० |
| ३१ | अंशियार हकवालाको प्रमाणित | २०० |
| ३२ | अंशवण्डा सिफारिस | २०० |
| ३३ | चार किल्ला प्रमाणित | २०० |
| ३४ | आदिवासी जनजाति, दलित प्रमाणित सिफारिस | १०० |
| ३५ | प्रविधिक प्रतिवेदन | २०० |
| ३६ | नेपाली कागजको फाराम प्रतिगोटा | १५ |
| ३७ | बिशेष सुविधा प्राप्त गर्ने अन्य सिफारिस | २०० |
| ३८ | उद्योग स्थापना सिफारिस ५ लाख सम्मको उद्योगलाई | २०० |
| ३९ | उद्योग स्थापना सिफारिस ५ लाख भन्दा माथिको उद्योगलाई | ५०० |
| ४० | गरिव तथा विपन्न सिफारिस | निशुल्क |
| ४१ | कुनै पनि संघ संस्था क्लब खोल्ने सिफारिस | २०० |
| ४२ | चरित्र सम्बन्धी प्रहरी लगायत अन्य संघ संस्थामा सिफारिस | २०० |
| ४३ | सवारी लाईसन्स सिफारिस गैर नेपाली | ५०० |
| ४४ | अंग्रेजिमा सिफारिस | ५०० |
| ४५ | कन्सुलर प्रमाणित | १०० |
| ४६ | कागजात प्रमाणित | २० प्रति पेज |
| ४७ | व्यवसाय, उ.स. र स्थानीय संस्था दर्ता गरी प्रमाण पत्र दिने | १००० |
| ४८ | दर्ता नविकरण | ५०० |
| ४९ | स्थायी बसोवासी प्रमाणित गर्ने | १०० |
| ५० | घर पाताल प्रमाणित | १०० |
| ५१ | सबै प्रकारको सहर जमिन मुचुल्का | ३०० |
| ५२ | **वार्षिक आय प्रमाणित** | |
| | ५ लाख सम्म | २०० |
| | ५ लाख देखि १० लाख सम्म | ५०० |
| | १० लाख देखि १५ लाख सम्म | ७०० |
| | १५ लाख देखि २० लाख सम्म | १००० |
| | २० लाख माथि | १५०० |
| ५३ | जन्मदर्ता प्रमाणपत्र ३५ दिन सम्म निशुल्क, सो भन्दा बढि भए | २०० |
| ५४ | विवाहदर्ता प्रमाणपत्र ३५ दिन सम्म निशुल्क, सो भन्दा बढि भए | २०० |
| ५५ | विदेशी महिला सँगको विवाह दर्ता ३५ दिन सम्म निशुल्क, सो भन्दा बढि भए | ३०० |
| ५६ | मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र ३५ दिन सम्म निशुल्क, सो भन्दा बढि भए | २०० |
| ५७ | बसाईसराई प्रमाणपत्र ३५ दिन सम्म निशुल्क, सो भन्दा बढि भए (जानेको हकमा) | २०० |
| ५८ | बसाईसराई प्रमाणपत्र ३५ दिन सम्म निशुल्क, सो भन्दा बढि भए (आउनेको हकमा) | २०० |

| | | |
|---|---|---|
| ५९ | घटना दर्ताको प्रतिलिपी | ५०० |
| ६० | गिटी प्रति घन फिट | २५ |
| ६१ | वालुवा प्रति घन फिट | २५ |
| ६२ | ढुङ्गा प्रति घन फिट | ४०० |
| ६३ | योजना पुस्तिका | २०० |
| ६४ | पालिकाबाट गरिने सिफारिस | २०० |
| ६५ | उजुरी दर्ता शुल्क | १०० |

## पर्यटन शूल्क

## अनुसूची - १३

पर्यटन शुल्क हाललाई कायम नगरिएको र आवश्यकता अनुसार कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

## घर नक्सापास शूल्क

## अनुसूची - १४

| आर.सि.सि. भएका भवनका लागि | | | |
|---|---|---|---|
| सि.नं. | विवरण | दर रु. | धरौटी |
| १ | जमिन तला प्रति वर्ग फिट | ५ | |
| २ | पहिलो तला प्रति वर्ग फिट | ६ | |
| ३ | दोश्रो तला प्रति वर्ग फिट | ७ | |
| ४ | तेश्रो तला प्रति वर्ग फिट | ८ | |
| ५ | चौथौ तला प्रति वर्ग फिट | ९ | |
| आर.सि.सि. बाहेकका भवनका लागि | | | |
| सि.नं. | विवरण | दर रु. | धरौटी |
| १ | ईट्टा, ढुङ्गा, ब्लक सिमेन्ट गाह्रो टिन, टायल छाना प्रति वर्ग फुट | ५ | |
| २ | ईट्टा, ढुङ्गा, ब्लक माटोको जोडाई टिन, टायल छाना प्रति वर्ग फुट | ३ | |
| ३ | ट्रसमा टिनका छाना | २ | |
| ४ | अस्थायी घर | २ | |

**नोटः-** घरनक्सा अभिलेखिकरणको हकमा आ.व. २०८२/८३ मा मिति २०८२ असोज मसान्तसम्म एक पटकका लागि सूचना दिई बिना जरिवाना अभिलेखिकरण गरिनेछ । सो पश्चात लाग्ने शुल्कमा थप २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । नयाँ नक्सा पास नियमानुसारको समयमा नगर्ने घरवालालाई स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजिम जरिवाना लाग्नेछ ।

## अनुसूची -१५
## अन्य सिफारिस/दस्तुर

परिक्षा शुल्क

अधिकृत स्तर- रु. १०००/-

सहायक स्तर-रु. ७००/-

सहयोगि स्तर- रु. ५००/-

ग्रेड बृद्धि शुल्क - रु.२००/- (कक्षा ८)
ग्रेड सिट प्रतिलिपि - रु.२००/-
शिक्षक सरुवा सहमति - रु.५००/-

**आज्ञाले**

देवकी सिम्खडा

(नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)